<u>अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता</u>
<u>संख्या-5856/नौ-5-15-31सा/2015</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

विषय:- नवघोषित केन्द्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों-अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation), स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, का मण्डल स्तर पर अनुश्रवण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कई नई योजनाओं/कार्यक्रमों-**अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation), स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन** हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनके सम्यक् अध्ययन के पश्चात् दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रदेश की अधिक से अधिक परियोजनाओं/कार्यो को स्वीकृत कराया जाना है। यह सभी कार्य समयबद्ध रूप से किये जाने हैं तथा श्रमसाध्य हैं। प्रदेश सरकार इन योजनाओं/कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता पर कार्यवाही कर रही है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के मण्डल स्तर पर ही सघन अनुश्रवण/समीक्षा की आवश्यकता है, जिससे इन योजनाओं/कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश को मिल सके।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित योजनाओं/कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा/अनुश्रवण अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर करने का कष्ट करें।

3- उक्त समिति में विभिन्न विभागों यथा-नगर विकास विभाग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण, आवास एवं शहरी नियोजन (विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् सहित) आदि के मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्मिलित किया जाय। समिति में यथावश्यकता कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा अन्य अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जिनके माध्यम से सन्दर्भित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गति लायी जा सके। समिति में यथावश्यकता सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया जाय।

4- मण्डल स्तर पर गठित समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य की जाय तथा बैठक/कृत कार्यवाही/अनुश्रवण आदि की मासिक रिपोर्ट सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन तथा मिशन निदेशक/नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-5856(1)/नौ-5-15-31सा/2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर (एसबीएम/स्मार्ट सिटी/अमृत), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/नगर विकास विभाग/ऊर्जा/परिवहन/पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) मिशन निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश(द्वारा जिलाधिकारी)।
(10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(11) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(12) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
(13) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ।
(14) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।